बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 182000 पटना, दिनांक 31-03-14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-सं0नि0(आ0आ0सं0)-112-05/2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार

विषयः- **ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायकों की संविदा आधारित नियोजन के सम्बन्ध में ।**

प्रसंगः- **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय का पत्रांक 468/MCC दिनांक 27.03.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में विभागीय पत्रांक 180814 दिनांक 14.03.2014 का कृपया संदर्भ किया जाय । उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय के पत्रांक 43/MCC दिनांक 27.03.2014 के द्वारा संसूचित भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के आलोक में संविदा आधारित विषयांकित नियोजन से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था ।

2. इसी संदर्भ में अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक 468/MCC दिनांक 27.03.2014 के द्वारा संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक की नियुक्ति चुनाव सम्पन्न होने तक स्थगित रखे जाने का भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय संसूचित किया गया है ।

अतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्रांक 468/MCC दिनांक 27.03.2014 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि तदालोक में नियोजन संबंधी कार्रवाई को चुनाव सम्पन्न होने तक स्थगित रखा जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

28/3/14 **(अमृत लाल मीणा)**
प्रधान सचिव

D:\06-Om.k All in One\आवेदन हिन्दी\Application-818.doc

फैक्स/ई-मेल

(35)

लोक सभा आम निर्वाचन, 2014

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

दूरभाष सं0:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: एम1-06/2014- 468/MCC

प्रेषक
हुसैन यूसुफ रिज़वी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27 मार्च, 2014 ई0।

विषय:- आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक की नियुक्ति करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 179954 दिनांक 06.03.2014 एवं पत्रांक 178965 दिनांक 26.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र 178965 दिनांक 26.02.2014 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1225 दिनांक 28.02.2014 द्वारा किये गये reference के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग से उसके पत्र सं0- 673 दिनांक 10.03.2014 द्वारा निम्न निदेश प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 43/एमसीसी दिनांक 13.03.2014 द्वारा संसूचित कर दिया गया है :-

"The Commission has no objection to the appointment/placement of Gramin Awaas Sahayak, Gramin Awas Perveykshak and Lekha sahayak (Gramin Awaas) under Indira Awas Yojna on contract basis."

पुनः इसी विषय पर आपके पत्रांक 179954 दिनांक 06.03.2014 के आलोक में लोक सभा निर्वाचन, 2014 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-434/बिहार-लो.स./2014 एमसीसी 785 दिनांक 25.03.2014 द्वारा अद्यतन निर्णय यह संसूचित किया गया है कि **संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक की नियुक्ति चुनाव सम्पन्न होने तक स्थगित रखा जाये।**

कृपया उक्त अद्यतन प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन,
27.3.14
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक **181731** पटना, दिनांक 27.03.2014
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(आ0आ0सं0)112-05/2014

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

27.3.14
(संजय कृष्ण)
विशेष कार्य पदाधिकारी